

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 141(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जून, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 606(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री नवकर सरवर केन्द्र, प्रथम तल, बी-II राजहंस सोसायटी इलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 द्वारा अहमदाबाद में श्री नवकर सरवर केन्द्र चलाने की और वाहनों की खरीद की स्कीम या परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर क्रम सं० 4 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि आर्थिक समाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नवकर सरवर केन्द्र, प्रथम तल, बी-II राजहंस सोसायटी इलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006 द्वारा अहमदाबाद में श्री नवकर सरवर केन्द्र चलाने की और वाहनों की खरीद की स्कीम या परियोजना को अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 40/2005/फा. सं. एनसौ-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)